...अनिरुद्ध का पेश हो।

2

23/2 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाने पर भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी का प्रावधान अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूबरू से आज होकर दाखिल दफ्तर होवे।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)